

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग**

अधिसूचना

पटना, दिनांक -

सं०सं०-16/टी.1-09/2015 -/391-(आ०चि०)/स्वा०/डा० श्रीमती किश्वर सुलताना, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेगूसराय को अपने दायित्वों के अतिरिक्त प्रभारी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय बनाये जाने के साथ-साथ बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम 84 (पूर्व का नियम-148) के तहत जिला संयुक्त औषधालय, बेगूसराय एवं इसके अधीनस्थ सभी राजकीय औषधालयों की स्थापना का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में अगले आदेश तक कार्य करने की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

सं०सं०-16/टी.1-09/2015 -/392-(आ०चि०)/स्वा०/डा० वासुदेव महतो, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुशेश्वर स्थान, मधुबन, दरभंगा को अपने दायित्वों के अतिरिक्त प्रभारी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा बनाये जाने के साथ-साथ बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम 84 (पूर्व का नियम-148) के तहत जिला संयुक्त औषधालय, दरभंगा एवं इसके अधीनस्थ सभी राजकीय औषधालयों की स्थापना का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में अगले आदेश तक कार्य करने की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

सं०सं०-16/टी.1-09/2015 -/393-(आ०चि०)/स्वा०/डा० (श्रीमती) आरती कुमारी, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, जिला संयुक्त औषधालय, सीतामढ़ी को अपने दायित्वों के अतिरिक्त प्रभारी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी बनाये जाने के साथ-साथ बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम 84 (पूर्व का नियम-148) के तहत जिला संयुक्त औषधालय, सीतामढ़ी एवं इसके अधीनस्थ सभी राजकीय औषधालयों की स्थापना का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में अगले आदेश तक कार्य करने की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

15/09/2016

सं०सं०-16/टी.1-09/2015 -/394-(आ०चि०)/स्वा०/डा० मो० जसीम अख्तर अशरफी, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी, जिला संयुक्त औषधालय, किशनगंज को अपने दायित्वों के अतिरिक्त प्रभारी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगंज बनाये जाने के साथ-साथ बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम 84 (पूर्व का नियम-148) के तहत जिला संयुक्त औषधालय, किशनगंज एव इसके अधीनस्थ सभी राजकीय औषधालयों की स्थापना का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में अगले आदेश तक कार्य करने की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव

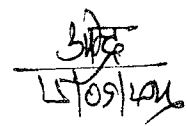
ज्ञापांक :-16/टी.1-09/2015-394- (आ०चि०)/पटना, दिनांक -/5.9.2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/दरभंगा/सीतामढी/किशनगंज/संबंधित सभी सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारियों/प्राचार्य/अधीक्षक राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होमियोपैथिक कॉलेज एव अस्पताल, बिहार/प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, पटना/अनुसंधान पदाधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक एव यूनानी अनुसंधान ईकाई, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति बिहार, पटना/सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- डा० श्रीमती किश्वर सुलताना, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेगूसराय/डा० वासुदेव महतो, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुशेश्वर स्थान, मधुबन, दरभंगा/डा० (श्रीमती) आरती कुमारी, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, जिला संयुक्त औषधालय, सीतामढी/डा० मो० जसीम अख्तर अशरफी, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी, जिला संयुक्त औषधालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव
Manisha